महोदय, पंजाब में इस बार धान खरीदी के समय FCI के गोदाम खाली नहीं किए गए। उसके अलावा पिछली फसल का जो 2 लाख मीट्रिक टन धान rice millers के पास stored था, उसको हटाया नहीं गया। जब आपके गोदाम और rice millers में जगह ही खाली नहीं बचेगी, तो procurement hit होगा। इससे यह हुआ कि किसान लाइन लगाकर मंडी पर खड़े रहे, उनको हड़बड़ी और डर के कारण कई जगह अपनी फसल सस्ते रेट पर देनी पड़ी। इसके अलावा यह भी हुआ कि किसान की अगली फसल में देरी हुई। जब किसानों की अगली फसल में देरी होती है, तो सीधे देश की इकोनॉमी पर असर पड़ता है। आढ़तियों को फ़र्क यह पड़ता है कि पहले ढाई परसेंट एमएसपी पर दिया जाता था, आज केंद्र सरकार ने उसको 45 रुपये पर फिक्स कर दिया, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान है। आगर आप rice millers को देखें, तो वे जो milling करते हैं, उस पर जो बायप्रोडक्ट बचता है, उसी पर फायदा होता है। उनकी milling रुक गई। इस तरीके से economic agrarian States के ecosystem को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया। पंजाब सरकार ने पिछले छह महीने में सात चिट्ठियां लिखीं, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। यह रिक्वेस्ट की गई कि जो गुड्स की 18 ट्रेन्स हैं, उनको बढ़ाकर 36 किया जाए। मेरा यह मानना है कि अगर इस तरीके से हम established process को disrupt करेंगे, तो मैं आपके माध्यम से देश से पूछना चाहता हूं कि क्या FCI के process tenderized नहीं हैं, क्या FCIs के timeline कैलेंडर में frozen नहीं है कि फलाने महीने की फलाने तारीख को फलाने चीज़ होनी है। अगर यह फिक्स्ड है, तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि इस पूरी प्रक्रिया को अस्त-व्यस्त किया गया। क्या सरकार किसानों से अभी भी बदला लेना चाहती है, क्या केन्द्र सरकार उस काले कानून वाले मैटर पर अभी भी बदला लेना चाहती है? मेरा यह सबमिशन है। आपने किसानों की बात मानकर बड़ा दिल दिखाया है ...(**व्यवधान**)... आप उसका क्रेडिट लीजिए ...(**समय की घंटी**)... वह बड़प्पन है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः संदीप जी, आपका टाइम खत्म हो गया है। प्लीज़, आपस में बात न करें। संजय जी, आप सीट पर बैठकर न बोलें।

The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Sandeep Kumar Pathak : Shri A. A. Rahim (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Prakash Chik Baraik (West Bengal), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Ashok Kumar Mittal (Punjab), Ms. Dola Sen (West Bengal), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh) and Shrimati Mahua Maji (Jharkhand).

Concern over increasing cases of drug abuse in the country

श्री प्रमोद तिवारी (राजस्थान): उपसभापति महोदय, आज देश के युवा बड़ी संख्या में नशे की गिरफ्त में हैं। यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो चिंता का विषय है। मादक द्रव्यों का सेवन देश के शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। National Drug Dependence Treatment रिपोर्ट के अनुसार देश की आबादी के 10 से 75 वर्ष तक के

करीब 20 प्रतिशत लोग किसी न किसी तरह नशे के आदी हैं। एक सरकारी एजेंसी अवैध ड्रग्स कारोबार का अकाल लगभग 30 हजार करोड़ रुपये आंकती है। 2014 से लेकर 2023 जून तक Narcotics Control Bureau द्वारा जब्त किए गए नशीले पदार्थों की मात्रा में लगभग 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इससे निपटने वालों के दर्ज मामलों में 152 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकारी आंकड़ों में नशा करने की वजह से 2017 में 745, 2018 में 875 और 2019 में 704 लोगों की मौत हुई है और सबसे ज्यादा राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हुई है। इसमें 30 से 45 आयु वर्ग के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। नशाखोरी से उपजी समस्याओं के चलते औसतन सात-आठ लोग रोज आत्महत्या करते हैं। प्रमुख भारतीय शहर अब सिंथेटिक ड्रग्स से भरे पड़े हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमाओं से ड्रग्स की तस्करी के लिए कई मामले सामने आ चुके हैं। नशीली दवाओं की तस्करी से भारत की सीमा-सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। जब-जब ड्रग्स की सप्लाई की बात होती है, तब-तब गुजरात के मुंद्रा पोर्ट का नाम जरूर आता है। यह बंदरगाह नशे की सप्लाई को लेकर बदनाम हो चुका है। कुछ महीने ही गुजरते हैं कि मुंद्रा पोर्ट में नशे की खेप को बरामद करने की खबर आ जाती है। यह बड़ा पोर्ट है, जहां 21,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है।

मान्यवर, इस पोर्ट पर आए दिन करोड़ों की सिक्योरिटी जब्त होती है। ...(**व्यवधान**)... गुजरात ड्रग्स का सेंटर बन गया है और सारे ड्रग्स मुंद्रा पोर्ट से निकल रहे हैं, लेकिन सरकार यहां कार्रवाई नहीं कर रही है। गुजरात के युवाओं के भविष्य नष्ट हो रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं, क्योंकि मुझे आपके माध्यम की जरूरत है, क्योंकि मुंद्रा पोर्ट के मालिक अडाणी हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः प्रमोद जी, आप विषय पर बोलें।

(**सभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

श्री सभापतिः प्रमोद जी, आप विषय पर बोलिए।

श्री प्रमोद तिवारीः सर, आप आ गए हैं, तो अब मैं विषय पर ही बोलूंगा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः मैं रहूं या नहीं रहूं, बात तो विषय पर ही करनी चाहिए।

श्री प्रमोद तिवारीः मुंद्रा पोर्ट, गुजरात में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सीधे ड्रग्स आ रही है, जो अडाणी का पोर्ट है। अब बताइए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान से कनेक्शन किसका है? ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Pramod Tiwari : Shri A. A. Rahim (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Dr. John Brittas

(Kerala), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana), Shri Neeraj Dangi (Rajasthan), Shri Tiruchi Siva (Tamil Nadu), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala) and Shri Madan Rathore (Rajasthan).

Concern over high pendency of court cases in India

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I rise to place before the hon. House the alarming situation in the country due to high pendency of judicial cases. As per the National Judicial Data Grid of India, there are more than 4.5 crore cases pending in various courts in India as on date. Out of those 4.5 crore pending cases, about 60 lakh cases are presently pending in different High Courts and more than 82,000 cases are pending in the Supreme Court of India. There are various reasons for it, apart from inadequate strength of Judges, judicial vacancies, procedural delays, etc. I am not here to talk about the problems but to talk about the solutions. The solution is implementation of the National Litigation Policy which has been pending since 2010. I hope that the Government will take due course of action and ensure implementation of the National Litigation Policy.

MR. CHAIRMAN: The hon. Member, Dr. John Brittas (Kerala) associated himself with the matter raised by hon. Member, Dr. Sasmit Patra.

Now, Zero Hour. Hon. Members, from 1 p.m. to 2 p.m., we will take up the remaining Zero Hour mentions. Is it okay? Is it the sense of the House?

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: Okay. Good.

12.00 **Noon**

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. CHAIRMAN: Now, Question Hour.

Steps to enhance farmers' income

*121. SHRI JOSE K. MANI: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS